प्रेस नोट दिनांक - 31.10.2020

इटावा पुलिस द्वारा दिनांक 28.10.2020 को फौजी होटल से चोरी हुए ट्रक को बरामद करते हुए अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री आकाश तोमर द्वारा चलाए जा रहे अभियान के क्रम एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर इटावा के मार्गदर्शन तथा क्षेत्राधिकारी जसवंतनगर के नेतृत्व में थाना जसवंतनगर पुलिस द्वारा दिनांक 28.10.2020 को फौजी होटल से चोरी हुए ट्रक को बरामद करते हुए अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 28.10.2020 को थाना जसवंतनगर पर संभागीय परिवहन अधिकारी श्री ब्रज बिहारी प्रसाद द्वारा ओवरलोडिंग में संलिप्त ट्रक संख्या यूपी 75 एटी1617 को सीज कर हाइवे किनारे स्थित फौजी होटल पर खडा कर दिया गया था । जिसे उसके मालिक एवं चालक द्वारा चोरी से ट्रक को भगा ले गये थे । उक्त सूचना पर तत्काल थाना जसवंतनर पुलिस द्वारा मौके पर पहुचा गया तो वहाॅ ट्रक नही मिला जिसके संबंध में थाना जसवंतनगर पर मु0अ0स0 460/2020 धारा 379 भादवि अभियोग पंजीकृत किया गया था ।
उक्त प्रकरण के संबंध में तत्काल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा संज्ञान लेते हुए ट्रक की बरामदगी एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्राधिकारी जसवंतनगर के नेतृत्व थाना जसवंतनगर से पुलिस टीम का गठन किया गया था ।

इसी दौरान कल दिनांक 30.10.2020 को पुलिस टीम द्वारा पुलिस टीम द्वारा नई तहसील नेशनल हाइवे पर चैकिंग की जा रही थी तभी मुखबिर द्वारा सूचना दी कि मु0अ0स0 460/2020 से संबंधित अभियुक्त चोरी किए हुए ट्रक को एटा से लेकर इटावा की तरफ आ रहे है इस सूचना पर पुलिस टीम द्वारा सघनता से चैकिंग की जाने लगी तभी कुछ समय बाद एक ट्रक आता हुआ दिखाई दिया जिसे मुखबिर द्वारा इशारा कर बताया कि यही वो ट्रक है जिसे पुलिस टीम द्वारा रोका गया तो उसमे से दो लोग उतर कर भागने लगे जिनका पुलिस टीम द्वारा पीछा किया गया तो उनमें एक अभियुक्त को पकड लिया गया तथा दूसरा अभियुक्त मौके का लाभ लेकर भागने में सफल रहा जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम प्रयासरत है तथा चोरी किए गए ट्रक को भी पुलिस टीम द्वारा बरामद किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक चाकू बरामद किया गया ।

पुलिस पूछताछ-

पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा बताया गया कि हम लोग अवैध रुप से मौरंग आदि भर कर ले जाने का काम करते है । दिनांक 28.10.2020 को खनन अधिकारी द्वारा ट्रक को सीज कर दिया गया था जिसे हाइवे स्थित ग्राम डुडहा के समीप फोजी होटल पर खडा कर दिया गया था जिसे हम लोगो द्वारा मौका पाकर वहाॅ से चुरा ले गये जिसमे मौरंग लदी थी जिसे हम लोगो द्वारा एटा में खाली कर दिया था तथा दुबारा मौरंग भरने के लिए जनपद इटावा आ रहे थे ।

गिरफ्तार अभियुक्त -

1. संजेश पुत्र नाहर सिहं निवासी ग्राम रामपुर कलान धौरी थाना निधौली कला जनपद एटा।

बरामदगी-

1. 01 ट्रक न0 यूपी 75 एटी 1617(चोरी किया हुया)
2. 01 चाकू

पंजीकृत अभियोग -

1. मु0अ0स0 460/2020 धारा 379,411 भादवि(411 भादवि की बढोत्तरी)
2. मु0अ0स0 462/2020 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट

पुलिस टीम- श्री रमेश सिहं प्रभारी निरीक्षक थाना जसवतनगर मय टीम ।

सोशल मीडिया सेल
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
इटावा।